20रु. Rs.20

बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रं०   /२०१४ निगरानी

:१: मंजूदेवी पत्नि कैलाशचन्द्रजी काबरा

:२: संदीप पिता कैलाशचन्द्रजी काबरा

निवासी सदर बाजार थाना मनासा

तह० मनासा जिला नीमच ----- आवेदकगण

28-4-2014

विरूद्ध

म०प्र० शासन द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत

मौजा धीषा पिपलिया तह० मनासा जिला नीमच

अनावेदक

अनुक्रमिक आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक [illegible]/2014 जिला नीमच

मजदूरी/[illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.08.14 उज्जैन कैंप	आवेदक अधिवक्ता श्री एन.एस. सिसौदिया उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दि. 19-02-2013 तथा नायब तहसीलदार कुकड़ेश्वर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-6-14 का अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2- अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि वह आवेदक की आपत्ति के संबंध में आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये उनकी आपत्तियों का निराकरण करें। तहसीलदार ने अपने आदेश दि. 9.6.14 में आवेदक के साक्ष्य लेने से मना किया है तथा इसी आदेश को इस निगरानी में चुनौती दी गई है। अपर कलेक्टर के निर्देश के प्रकाश में तहसीलदार को आवेदक को उसका पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध कराना चाहिये था। अतः इस निगरानी का अंतिम निराकरण इसी स्तर पर तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि वह आवेदक को अपने साक्ष्य रखने का पूर्ण अवसर दें। प्रशासकीय सदस्य	